न्यायायल सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियॉं

पीठासीन अधिकारी :– रतनलाल रेगर (आर ए एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र सख्या 120/2019

प्रार्थीगण :–

1. भैराराम पुत्र श्री तेजाराम
2. रामूराम पुत्र श्री तेजाराम जाति जाट निवासी ग्रम रिडमलसर तहसील बापिणी जिला जोधपुर ।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. हडमानराम पुत्र श्री सिदाराम
2. देवाराम पुत्र श्री सिदाराम
3. नैनाराम पुत्र श्री सिदाराम
4. मूलाराम पुत्र श्री जसाराम सभी जाति जाट निवासी ग्रम रिडमलसर तहसील बापिणी जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

प्रार्थीगण की ओर से :– अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मदेरणा

अप्रार्थीगण की ओर से :– अधिवक्ता श्री राजेश खीचड

–::निर्णय ::–

दिनॉंक 9/10/19

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि तहसील बापिणी के ग्रम रिडमलसर पटवार क्षेत्र रिडमलसर की सरहद में स्थित खेत खस[illegible] 96 बीघा 05 भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा [illegible] उतर दिशा की तरफ अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सु[illegible]मि खसरा सख्या 1074 रकबा 6[illegible] बीघा 09 बिश्वा, खसरा सख्या 1074/1 रकबा 62 बीघा 09 बिश्वा भूमि आयी हुई है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि की तरफ की सीमाओ को आगे पीछे करके खुर्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:36:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

बुर्द करने हेतु आमदा हुए। इसलिए प्रार्थीगण नें अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि की पैमाईस करवाने बाबत प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार साहब बापिणी के समक्ष पेश किया व नियमानुसार राशि राजकोश में जमा करवाकर के नियमानुसार हल्का पटवारी से दिनॉक 13.01.2019 को सीमाकन करवाया सीमाज्ञान के समय अप्रार्थी व अन्य मौतबीर भी उपस्थित थे जिनके हस्ताक्षर हल्का पटवारी द्वारा पैमाइस रिपोर्ट पर करवाये । मौके पर प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि की पैमाईस करके हल्का पटवारी ने सीमा चिन्ह पौराणिक माठ पर बताये व मिटटी के कच्चे थम्बूडे बनाये उस स्थान पर प्रार्थी पत्थर रोपने लगे तो अप्रार्थीगण ने बाधा व रूकावट पैदा की जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को काफी समझाईस भी की लेकिन अप्रार्थीगण नही मान रहे है। तथा मौके पर लडाई झगडा करने पर अमादा है । इसलिए प्रार्थी उक्त सीमाज्ञान की पत्थर गडडी करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अप्रार्थी अपनी भूमि की पैमाईस नही करवा करके प्रार्थीगण की भूमि पर प्रार्थीगण की सीमा को खुर्द बुर्द कर जबरन अतिक्रमण करना चाहते है। इसलिए प्रार्थी अपनी भूमि की सीमाओ पर पत्थर गडडी करवाना चाहता है। अन्त में ईस्तदुआ चाही कि हल्का पटवारी की सीमाकन रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम रिडमलसर के खेत खसरा सख्या 1073 रकबा 96 बीघा 05 बिश्वा भूमि की मौके पर उतरी सीमा की पत्थर गडडी करवाने का आदेश फरमावे साथ ही एस.एच.ओ. भोजासर को आदेश फरमावें कि उक्त पत्थर गडडी के कार्य सम्पादन में समुचित पुलिस इमदाद दिलायी जावे। ताकि मौके पर किसी प्रकार की अशान्ति नही हेा तथा सुचारू रूप से पत्थर गडडी का कार्य सम्पादित किया जा सके ।

प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालातनामा पेश कया लेकिन काफी अवसर के बावजूद जबाब प्रार्थना पत्र पेश नही किया जिस पर अप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:36:10 IST
Reason: SelfAttested

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई प्रार्थी अ[illegible] तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि हल्का पटवारी द्वारा मौके पर सीमाज्ञान [illegible] गया है तथा मिटटी के कच्चे थम्बुडे पौराणिक माठ पर स्थापित किए जिस पर प्रार्थी ने खुटे रोपने चाहे तो अप्रार्थीगण ने खुटे नही रोपने दिए । अन्त में प्रार्थना पत्र में स्वीकार करने की ईस्तदुआ की । अप्रार्थीगण की ओर से

अधिवक्ता द्वारा बताया किया हल्का पटवारी द्वारा मौके पर कोई सीमाज्ञान नही किया गया है तथा न ही कच्चे थम्बुडे स्थापित किए है। अत उभय पक्षकारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर सीमाज्ञान की पत्थरगडडी की जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया बहस पर मनन किया गया पत्रावली में हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई सीमाज्ञान रिपोर्ट मौजूद है। तथा मोके पर सीमाचिन्ह स्थापित करना बताया है। अत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

-::आदेश ::-

अत प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि तहसील बापिणी के ग्राम रिडमलसर पटवार क्षेत्र रिडमलसर की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1073 रकबा 96 बीघा 05 भूमि का पुन सीमाज्ञान किया जाकर सीमाज्ञान की पत्थरगडडी की जाने बाबत तहसीलदार बापिणी को आदेश दिया जाता है तथा पुलिस थाना भोजासर को आदेशित किया जाता है कि वक्त पत्थरगडडी समुचित पुलिस ईमदाद दिलायी जावे ताकि मौके पर वक्त पत्थरगडडी शान्ति व्यवस्था बनी रहे।

(रतनलाल रेगर)
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर ओसियाँ

आदेश आज दिनॉक 09.10.2019 को हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर ओसियाँ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:36:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner